

## प्रस्तुति 8क

### [नियम 13 (4) और 26 देखिए]

#### निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन

सेवा में

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,  
.....विधान सभा / संसदीय<sup>f</sup> निर्वाचन-क्षेत्र

हाल ही के पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (3.5 सेमी0 x 3.5 सेमी0), के लिए स्थान जिसमें सामने के चेहरे की पूरी आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मुझसे\* / नीचे नामित व्यक्ति\* से संबंधित प्रविष्टि, इस निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली के सुरंगत भाग में अन्यत्र रख दी जानी चाहिए। अन्यत्र रखी जाने वाली प्रविष्टि का विवरण निम्नानुसार हैः—

<b>I. उस व्यक्ति के ब्योरे जिसकी प्रविष्टि को अन्यत्र रखा जाना है</b>	<b>नाम</b>	<b>उपनाम (यदि कोई हो )</b>
	उस निर्वाचक नामावली का, जिसमें उसका नाम सम्मिलित है, भाग संख्या:	उस भाग में उसका / उसकी क्रम संख्या:
<b>*पिता / माता / पति का नाम</b>	<b>नाम</b>	<b>उपनाम (यदि कोई हो )</b>
<b>II. वर्तमान साधारण निवास स्थान का विवरण (पूरा पता):</b>		
मकान / गृह संख्या:		
गली / क्षेत्र / परिक्षेत्र / मोहल्ला / सड़क:		
नगर / ग्राम:		
डाकघर:	पिन कोड:	
तहसील / तालुक / मंडल / थाना:		
जिला:		
<b>III. आवेदन की तारीख को उपर्युक्त पते पर वर्ष:</b>		<b>मास:</b>
लगातार निवास करने की अवधि		
<b>IV. वह भाग संख्या, प्रविष्टि जहां स्थानांतरित की जानी है (यदि ज्ञात हो)</b>		
<b><sup>g</sup> V. आवेदक के ब्योरे</b>	<b>नाम:</b>	<b>उपनाम (यदि कोई है)</b>
	उस निर्वाचक नामावली का, जिसमें आवेदक का नाम सम्मिलित है, भाग संख्या :	उस भाग में उसका / उसकी की क्रम संख्या :

<sup>f</sup> उन संघ राज्यों क्षेत्रों जिनमें विधान सभा नहीं हैं और जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में।

\* अनुपर्युक्त विकल्प को काट दें।

<sup>g</sup> जहां आवेदक स्वयं से संबंधित प्रविष्टि को स्थानांतरित करने की मांग करता है वहां भाग 5 नहीं भरा जाए।

**VI. घोषणा:-**

मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विष्वास से सही है ।

स्थान:

तारीख:

आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निषान

कृपया अपनी मोबाइल संख्या / ई-मेल आई.डी. उल्लिखित करें (ऐच्छिक) .....

**टिप्पणी:-** जो व्यक्ति ऐसा वक्तव्य देता है या घोषणा करता है, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विष्वास है या जिसके सत्य होने का विष्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा ।

**की गई कार्रवाई के ब्यौरे**

(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाए)

श्री / श्रीमती / कुमारी ..... से स्वयं श्री / श्रीमती / कुमारी.....  
से संबंधित प्रविष्टि के निर्वाचक नामावली में अन्यत्र स्थानांतरण के लिए प्ररूप 8क में प्राप्त आवेदन को  
स्वीकार\* / नामंजूर\* कर दिया गया है ।

\*स्वीकार किए जाने या \*नामंजूर किए जाने [नियम 26(4)\* के अधीन] के लिए विस्तृत कारण

स्थान:		
दिनांक:	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का हस्ताक्षर	(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मुहर)

\*अनुपयुक्त विकल्प को कष्ट दें ।

क्षेत्रीय पदाधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणियां

[प्ररूप 8क लगातार .....]

[यह पृष्ठ इतना मोटा होना चाहिये कि यह डाक से भेजे जाने पर क्षतिग्रस्त न हो]

कार्बाई की सूचना

(इस पृष्ठ का अनुभाग –II संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा और आवेदक को उसके द्वारा इस पृष्ठ के अनुभाग–I में दिये गये पते पर डाक से भेजा जायेगा।)

पहला मोड़ .....

अनुभाग –I

डाक टिकट निर्वाचक  
निबंधन प्राधिकार द्वारा  
प्रेषण के समय चिपकाया  
जायेगा।

प्ररूप 8क में दिया गया श्री/श्रीमती/कुमारी ..... का आवेदन

\*\* (पूरा पता)

मकान/गृह संख्या:

गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/

मोहल्ला/सड़क:

नगर/ग्राम:

डाकघर:

तहसील/तालुक/मंडल/थाना:

जिला:

पिन कोड

\*\* आवेदक द्वारा भरा जाये।

दूसरा मोड़ .....

अनुभाग –II

(क) स्वीकृत कर लिया गया है तथा श्री/श्रीमती/कुमारी ..... का नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... के भाग संख्या ..... की निर्वाचक सूची के क्रमांक ..... से विलोपित कर दिया गया है और भाग संख्या ..... के क्रमांक ..... पर निबंधित कर लिया गया है।

(ख) नामंजूर कर दिया गया है क्योंकि .....

तारीख .....

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी  
पता .....

.....

.....

फाड़ने हेतु छिद्रण .....

आवेदन की पावती

\*\*श्री/श्रीमती/कुमारी.....

\*\*पता.....

से प्ररूप 8क में आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांक:.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी  
की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले  
अधिकारी का हस्ताक्षर  
(पता).....

.....

.....

\*\*आवेदक द्वारा भरा जाए ।

## आवेदन प्ररूप-8क भरने के लिए दिषा-निर्देश

### सामान्य अनुदेश

#### **प्ररूप-8क कौन दाखिल कर सकता है**

- जिस व्यक्ति का नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से ही समाविष्ट है, वह उसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रविष्टि को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए आवेदन कर सकता है।

#### **प्ररूप-8क कब दाखिल किया जा सकता है**

- उसी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अपने या किसी और से सम्बन्धित प्रविष्टि के अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् आवेदन दाखिल किया जा सकता है। आवेदन, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है। जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषणा होती है, तब उपर्युक्त अवधि के विषय में व्यापक प्रचार किया जाता है।
- आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है।
- पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी उसी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नाम अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए आवेदन वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है। गैर-पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए।

#### **प्ररूप-8क कहाँ दाखिल किया जाए**

- पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन अभिहित स्थलों (प्रायः मतदान केन्द्र स्थल), जहाँ प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है, के साथ-साथ निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल की जा सकती है।
- वर्ष की अन्य अवधि के दौरान जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास ही दाखिल किया जा सकता है।

#### **प्ररूप-8क कैसे भरें**

- आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहाँ आवेदक सम्बन्धित प्रविष्टि का स्थानांतरण चाहते हैं। खाली स्थान में निर्वाचन-क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- आवेदन के भाग I में नाम, भाग संख्या, नामावली की क्रम संख्या जहाँ नाम पहले से प्रविष्ट है, मतदाता फोटो पहचान-पत्र संख्या और नातेदार का नाम (जैसा कि निर्वाचक नामावली में मुद्रित हैं) भरें।
- आवेदन के भाग II में कृपया नये स्थान का पूरा पता लिखे जहाँ आप या संबंधित व्यक्ति ने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर अपना साधारण आवास स्थानांतरण कर लिया है। कृपया अपूर्ण पता न लिखें क्योंकि ऐसा होने पर सम्भव है कि आपके द्वारा दिये गये पते को सही भाग से सम्बद्ध करना सम्भव नहीं होगा।
- आवेदन के भाग III में, आवेदन के भाग-II में विनिर्दिष्ट नये पते पर कितने समय से नियमित रूप से निवासी हैं, इस बात का उल्लेख किया जाना है।
- आवेदन के भाग IV में निर्वाचक सूची के उस भाग की संख्या उल्लिखित करें, जिस भाग में नये क्षेत्र के निवासी, जहाँ आप स्थानांतरित हुए हैं, निबंधित हैं। यह प्रविष्टि ऐच्छिक है। यदि आपको निर्वाचक नामावली की भाग संख्या पता नहीं है तो खाली स्थान छोड़ दें।
- आवेदन का भाग-V उस मामले में नहीं भरा जाना है जहाँ अपने से संबंधित प्रविष्टि के स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया गया है। यह भाग उसी समय भरा जाना होगा यदि आवेदक किसी और व्यक्ति की प्रविष्टि के स्थानांतरण के लिए आवेदन करता है।  
कृपया पावती तथा सूचना अनुभाग में अपना पूरा नाम एवं पता उल्लिखित करें।  
कृपया अपनी मोबाइल संख्या और ई-मेल आई.डी. प्ररूप में ऐच्छिक रूप से उल्लिखित करें, यदि यह उल्लिखित की जाती है तो इनका उपयोग निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा आवेदक को आवश्यकतानुसार विभिन्न सूचनाएं देने में किया जा सकेगा।